[2021] 7 एस. सी. आर. 520

हरियाणा राज्य

वी.

हरनाम सिंह (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील संख्या 6825)

25 नवंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925: एस. 63

अप्रकाशित वसीयतों का निष्कासन

विल यू/का प्रमाण एस. 63-आयोजितः एस की आवश्यकता। 63 नहीं हो सकता

उसमें दी गई शर्तों के यांत्रिक अनुपालन द्वारा पूरा किया जाना-उक्त प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करने का प्रमाण होना चाहिए

विश्वसनीय-तथ्यों पर, वसीयत के लेखक होने का दावा करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ मामले का समर्थन करने के लिए गवाही देने वाले दो गवाह

मूल वादी, लेकिन विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय दोनों

अदालत ने उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया-वसीयतकर्ता के अंगूठे की छाप का मिलान नहीं किया गया था-फांसी के स्थान के संबंध में गवाहों को प्रमाणित करने के साक्ष्य में विरोधाभास-तथ्य खोजने वाली अदालतों ने ऐसे सबूत को विश्वसनीय नहीं पाया-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्न को इस आधार पर तैयार करने में गलती की कि वसीयत एस के संदर्भ में साबित हुई थी। 63 - वास्तव में, दोनों तथ्य खोजने वाली अदालतों ने पाया कि वसीयत साबित नहीं हुई थी-उच्च न्यायालय ने केवल तथ्य के प्रश्न पर कानून का प्रश्न तैयार किया-यह अपने निष्कर्ष पर आने के लिए एक विस्तृत तथ्यात्मक जांच में गया, हालांकि इस तरह की जांच की अनुमति नहीं थी। s.100 सी. पी. सी.-इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित फैसले में कोई विकृति नहीं है और पहली अपीलीय अदालत-उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय की राय थी कि वसीयत

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के संदर्भ में साबित किया गया था

और इस तरह के निष्कर्ष पर आते हुए उच्च न्यायालय ने गहराई से विचार किया

तथ्यात्मक जाँच। अपील के तहत दिए गए फैसले से यह स्पष्ट है कि कानून के प्रश्न का निर्माण तथ्य के सवाल पर था

केवल। इसके अलावा, जिसके आधार पर प्रश्न तैयार करने में

अपील को स्वीकार कर लिया गया, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि वसीयत अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में साबित हुई थी। वसीयत का लेखक होने का दावा करने वाला व्यक्ति और साथ ही दोनों प्रमाणक

520 हरियाणा राज्य बनाम। हरनाम सिंह (मृत) टीएचआर। एलआरएस।

& ओआरएस।

सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपील। निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। तथ्यों की पहली दो अदालतों के फैसले में कोई विकृति नहीं है। [पारस 7,8] [526-जी-एच; 527-ए-बी] 1.3 हरियाणा राज्य और प्रतिवादी संख्या के बीच अंतर-विवाद का प्रश्न। 2 4-इस अपील में वसीयतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों का समाधान नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस प्रश्न का न्यायनिर्णयन करने के लिए नए साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा और यह पूरी तरह से एक नया विवाद पैदा करेगा जिसे उस मुकदमे में पहले संबोधित नहीं किया गया था जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न होती है। इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि क्या मूल प्रतिवादी संख्या। 2 4 को मुकदमे के चरण में समन या कार्यवाही का नोटिस दिया गया था। हरियाणा राज्य के दावे पर सवाल उठाने के लिए दिवंगत वसीयतकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए यह खुला रहेगा।

विषय-एस्केट के सिद्धांत के तहत भूमि। [पैरा 9] [527-डी ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6825

2008 .

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. एस. ए. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से No.1820

1982 से।

डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अभय के. बेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सौरभ तिवारी, अशोक के. महाजन, जे. पी. सिंह, अमित साहनी, बानो देसवाल, सुश्री रीमा चौहान, आर. सी.

कौशिक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

1. हमारे समक्ष अपीलकर्ता हरियाणा राज्य है जो 5 मई, 2008 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर आरोप लगाता है। अपील के तहत दिए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने एक किशन सिंह की वसीयत की वास्तविकता के मुद्दे पर निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के समवर्ती निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया, जिसके द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 52 कनाल और 3 मरला वाली कृषि भूमि को विरासत में दिया गया था।

हरनाम सिंह (मृतक होने के बाद से)। वसीयत [जिसका अंग्रेजी अनुवाद काउंटर के साथ संलग्न किया गया है-हरनाम सिंह (मृतक) के कानूनी उत्तराधिकारियों के रूप में और उनकी ओर से दायर एक नसीब सिंह का हलफनामा]

भूमि का क्षेत्रफल या विवरण निर्दिष्ट नहीं करता है। उक्त लिखत में "पट्टी डोगरान कैथल में स्थित सभी भूमि जो मेरा स्व-अधिग्रहित है और अन्य चल और अचल संपत्तियों" की व्यवस्था है।

2. 15 जनवरी, 1975 को किशन सिंह की मृत्यु पर (उच्च न्यायालय के फैसले में दर्शाई गई तारीख),

मूल वादी हरनाम सिंह (मृतक) ने स्वर्गीय किशन सिंह की वसीयत के आधार पर भूमि पर अधिकार का दावा किया, जिसे 10 दिसंबर, 1974 को निष्पादित किया गया था (जिस तारीख को उच्च न्यायालय के फैसले में दर्शाया गया था)। उन्होंने उक्त वसीयत के तहत उत्तराधिकारी होने का दावा किया। मान लीजिए, हरनाम सिंह (मृतक) का स्वर्गीय किशन सिंह से खून से कोई संबंध नहीं था। पूर्व स्वर्गीय किशन सिंह की भूमि पर जुताई कर रहा था, क्योंकि यह निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य में सामने आया है। वसीयत में, जिसकी वास्तविकता का हरियाणा राज्य द्वारा विरोध किया गया है, यह दर्ज किया गया है कि हरनाम सिंह (मृतक) स्वर्गीय किशन सिंह की देखभाल कर रहे थे। उक्त वसीयत के आधार पर पहली बार के प्राधिकरण ने हरनाम सिंह (मृतक) के पक्ष में भूमि को परिवर्तित कर दिया था। लेकिन सहायक कलेक्टर ने उत्परिवर्तन की याचिका

को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्होंने वसीयत के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। एस्केट के सिद्धांत को लागू करते हुए, भूमि को हरियाणा राज्य v में उत्परिवर्तित किया गया था।

हरनाम सिंह (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

राज्य का हित। इसके बाद, 29 मई, 1978 को उक्त हरनाम सिंह (मृतक) द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया थाः

प्रतिवादियों को किसी भी तरह से वाद संपत्ति की नीलामी या अलगाव से रोकने वाला निषेधाज्ञा कृपया के पक्ष में पारित किया जा सकता है
वादी और प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे के खर्च के साथ। कोई अन्य राहत जिसके लिए वादी को हकदार माना जाता है

भी दिया जाए। "

(शिकायत की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि संलग्न किया गया है

पेपरबुक)

3. मुकदमे में दीवान सिंह (मृतक होने के बाद), सोहन सिंह (मृतक होने के बाद) और केहर सिंह (मृतक होने के बाद) को शामिल किया गया था।

प्रतिवादी सं। 2 4 तक। वे स्वर्गीय किशन सिंह (उनके चचेरे भाई भाइयों के बेटे) के भतीजे प्रतीत होते हैं। उन्हें उत्तराधिकार के मौजूदा नियम का पालन करते हुए प्रतिवादी बनाया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि किशन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी या कोई बच्चा था। प्रतिवादी नं. 2 उनका भी निधन हो गया लेकिन उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया है। याचिका के कारण शीर्षक पर किए गए समर्थन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या। 3 और 4 का भी निधन हो गया है और उनके हित का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। 2 इस अपील में।

4. निचली अदालत ने 22 अक्टूबर, 1981 को मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसे केवल पहले प्रतिवादी (हरियाणा राज्य) ने चुनौती दी थी। में

अन्य बातों के साथ-साथ विचारण न्यायालय के निर्णय में कहा गया थाः

" 7 (घ) कथित तौर पर जिस तरह से वसीयत को अचानक लिखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब वसीयत द्वारा वसीयत करने के लिए मांगी गई भूमि की कुरुक्षेत्र संख्या का उल्लेख वसीयत में किया गया है और न ही इसे उन लोगों द्वारा लिखा या सत्यापित किया गया है जो खुद को मृतक के साथ सूचित करने का दावा कर सकते हैं (क्योंकि वर्तमान में उनके अनुसार सहजता के साथ)।

बयान न तो मृतक से संबंधित थे और न ही सूचित किए गए थे और आसानी के साथ मौका होता है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं), तो मैं असमर्थ हूं [2021] 7 एस. सी. आर.

इन कथनों को आसानी से स्वीकार करने के लिए कि मृतक

कभी भी समन की गई फाइल की प्रति पर वसीयत Ex.A.1 को निष्पादित किया, जिसकी Ex.P.4 वादी के पक्ष में है। पीडब्लू 1,2,3 और 4 की गवाही के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए। इयान की राय है कि मृतक किशन सिंह द्वारा वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी, जैसा कि तदनुसार आरोप लगाया गया है कि मुद्दा संख्या 1 वादी के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में है। ”

(फैसले की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि संलग्न किया गया है

पेपरबुक में)

5. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 20 तारीख को उक्त निर्णय की पुष्टि की

1982 , धारण करनाः

फिर उन्हें वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए रखा जाना चाहिए। मेरा विचार है कि तत्काल मामले में, हालांकि गवाहों के बयान सुसंगत हैं, लेकिन ये विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि वसीयत पर अंगूठे के निशान मृतक के नहीं साबित होते हैं। वसीयत को लाइसेंस प्राप्त याचिका लेखक द्वारा नहीं लिखा जाता है। गवाहों को प्रमाणित करने वाला लेखक गाँव से संबंधित नहीं है मृतक के साथ कोई विशेष संबंध नहीं रखने वाले संयोग गवाह होंगे। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि इच्छा का उचित निष्पादन साबित नहीं होता है। इसलिए मुद्दा संख्या 1 पर निचली अदालत का निष्कर्ष उत्तरदायी है

पुष्टि हो गई है और पुष्टि हो गई है। " (फैसले की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि संलग्न किया गया है

पेपरबुक में)

6. कानून का निम्नलिखित प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा हरनाम सिंह (मृतक) की दूसरी अपील का अनुकरण करते हुए तैयार किया गया थाः

" क्या किशन सिंह द्वारा कथित रूप से निष्पादित की गई वसीयत वास्तविक है या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसे संविधान की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार साबित किया गया है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम "।

(फैसले की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि संलग्न किया गया है

पेपरबुक में)

उच्च न्यायालय ने तथ्य निष्कर्ष से अलग दृष्टिकोण अपनाया

टीएस और आयोजितः

हरियाणा राज्य बनाम। हरनाम सिंह (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

" प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे पंजीकृत करना होगा। निस्सन्देह, यदि कोई वसीयत पंजीकृत है तो निश्चित रूप से इसकी वास्तविकता को साबित करने के लिए एक परिस्थिति होगी, लेकिन केवल यह तथ्य कि वसीयत पंजीकृत नहीं है, वसीयत को साबित करने के लिए अन्य ठोस साक्ष्य को त्यागने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान मामले में वादी-अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए गवाह वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के उचित निष्पादन को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम हुए हैं, जबकि वह दो स्वतंत्र प्रमाणित करने वाले गवाहों, जिनमें से एक नगर पार्षद है, और लेखक, जिसने वसीयत लिखी थी, से पूछताछ करके मन की स्वस्थ स्थिति में था। सभी गवाहों ने वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति के बारे में पुष्टि की है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि किसी भी गवाह का हरनाम सिंह नामक वसीयत के प्रस्ताव के साथ कुछ संबंध है, ताकि

प्रदर्शित करें कि उनकी गवाही झूठी और अस्वीकार्य है।

विद्वान कथित वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है। नतीजतन, इस अपील की अनुमति दी जाती है, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को दरकिनार कर दिया जाता है और वादी के मुकदमे को राज्य के पक्ष में स्वीकृत परिवर्तन को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। वादी-अपीलार्थी को वाद की संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाता है जैसा कि वाद के पैरा संख्या 1 में उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी-राज्य को नीलामी या अलग-थलग करने से रोक दिया गया है

सूट की संपत्ति "।

(निर्णय की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि पेपरबुक के साथ संलग्न है)

7. उच्च न्यायालय की राय थी कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के संदर्भ में साबित किया गया था और इस तरह के निष्कर्ष पर आते समय उच्च न्यायालय तथ्यात्मक जांच में गहराई से गया। अपील के तहत दिए गए फैसले से यह स्पष्ट है कि कानून के प्रश्न का निर्माण केवल तथ्य के प्रश्न पर था। इसके अलावा, उस प्रश्न को तैयार करने में जिसके आधार पर अपील स्वीकार की गई थी, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे बढ़ाया कि वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के संदर्भ में साबित हुई थी। वसीयत का लेखक होने का दावा करने वाला व्यक्ति और साथ ही मूल वादी के मामले का समर्थन करने के लिए गवाही देने वाले दो गवाह, लेकिन ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट दोनों [2021] 7 एस. सी. आर.

उनकी गवाही पर अविश्वास किया। किशन सिंह के अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा था। फांसी के स्थान के संबंध में गवाहों को प्रमाणित करने के साक्ष्यों में विरोधाभास था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 की आवश्यकता को उसमें दी गई शर्तों के यांत्रिक अनुपालन द्वारा पूरा किया गया नहीं कहा जा सकता है। उक्त प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करने का साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए। तथ्य खोजने वाले न्यायालयों ने ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया। 1925 के अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान में कहा गया हैः

" 63. विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन। हर परीक्षक, नहीं

किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक कार्य में लगे हुए सैनिक होना युद्ध, [या इस तरह से कार्यरत या लगे हुए एक वायुसैनिक] या समुद्र में एक नाविक, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत का निष्पादन करेगाः

(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, या उस पर उसकी उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और

उसकी दिशा।

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को इस तरह रखा जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य लेखन को प्रभावी बनाना था -

विल।

(ग) वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा है या वसीयत पर अपना निशान लगाया है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है।

यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप नहीं होगा आवश्यक है।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कानून के प्रश्न को तैयार करने में गलती की कि वसीयत भारतीय संविधान की धारा 63 के संदर्भ में साबित हुई थी।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925। वास्तव में, दोनों तथ्य-खोजने वाले न्यायालयों-विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया था कि वसीयत साबित नहीं हुई थी। गवाहों के साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि वे तथ्य खोजने वाले न्यायालयों के विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहे। हालाँकि, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक विस्तृत तथ्यात्मक जाँच में चला गया।

हम हरियाणा राज्य बनाम के हैं। हरनाम सिंह (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

राय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत एक अपील की सुनवाई करते समय इस तरह की प्रकृति की जांच अस्वीकार्य थी।

8. हमारी राय में निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। हम करते हैं।

तथ्यों के पहले दो न्यायालयों के निर्णय में कोई विकृति नहीं मिलती है।

9. स्वर्गीय किशन सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों ने भी इस अदालत के समक्ष अपील को चुनौती दी है और इस आशय का एक जवाबी हलफनामा सुखविंदर सिंह द्वारा दायर किया गया है। उक्त जवाबी हलफनामे में, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि प्रतिवादी संख्या। 2 4 को उक्त सूट के बारे में सूचित नहीं किया गया था। प्रतिवादी सं। 2 4 को प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकारों की श्रेणी से इस आधार पर हटा दिया गया था कि उक्त न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने के अनुसार उनके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। प्रतिवादी सं। 2 4 ने इस कार्यवाही के दौरान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 47 और 48 के तहत भूमि पर अपने अधिकार पर अपना दावा उठाया है। लेकिन यह सवाल नहीं हो सकता है। इस कार्यवाही में निर्णय लिया गया। हरियाणा राज्य और प्रतिवादी संख्या के बीच अंतर-विवाद का प्रश्न। 2 4 को इस अपील में हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस प्रश्न का न्यायनिर्णयन करने के लिए नए साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा और यह पूरी तरह से एक नया विवाद पैदा करेगा जिसे उस मुकदमे में पहले संबोधित नहीं किया गया था जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न होती है। हमारे पास इस बात का स्पष्ट सबूत नहीं है कि क्या मूल प्रतिवादी संख्या। 2 4 को मंच पर कार्यवाही का समन या नोटिस दिया गया था

मुकदमों से। स्वर्गीय किशन सिंह के कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए यह खुला रहेगा कि वे इस विषय पर हरियाणा राज्य के दावे पर सवाल उठा सकें-एस्केट के सिद्धांत के तहत भूमि। हम इस फैसले में उस विकल्प को बंद नहीं करते हैं।

10. ऐसी परिस्थितियों में हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर देते हैं। विचारण न्यायालय के निर्णय और

प्रथम अपीलीय न्यायालय को बहाल किया जाता है। लेकिन मूल प्रतिवादी संख्या के कानूनी प्रतिनिधियों के दावे के सवाल पर। 2 वाद भूमि पर 4 तक, यह उनके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए खुला होगा जो कानून के तहत अनुमेय हो सकता है।

11. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन